रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1973/श्रावण 6, 1895

No. 179] **NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1973/SRAVANA 6, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 28th July 1973

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 66-Customs, dated the 30th April, 1973, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the plastic materials specified in the Schedule hereto annexed and falling under Item No. 82(3) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent. *ad valorem*.

SCHEDULE

1. Polyethylene moulding powder and granules;
2. Cellulose acetate butyrate; and
3. Polyvinyl chloride resins.

[No. 109/F. No. 567-TR(CUS)/73.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 365 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 66-सीमा-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 82(3) के अन्तर्गत आने वाली प्लास्टिक सामग्रियों को जबकि वे भारत में आयात की जाएं, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से छूट देती है जितना 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।

अनुसूची

1. पोलिएथिलीन मोल्डिंग पाउडर और ग्रैन्यूलस् ;
2. सेलूलोज एसीटेट बुटैरेट ; और
3. पोलिविनियल क्लोराइड राल ।

[सं० 109/एफ० सं० 567 टी० आर० (सीमाशुल्क)/73]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973